


FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... S.D.O. कोर्ट..... मुकाम..... कायल

..... देवाराज बनाम नरेशा वीरा

किस्म मुकदमा..... 53 188 RTA नं..... 96 सन्..... 18

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/07/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री उमराज पंवार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188, RTA राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20.08.18 को पेश हो। 	
20/8/18	अधिवक्ता हडताल में चल रहे हैं प्रतिवादी बलों के सम्मन तामील अदालत तामील कक्षा में प्रमाण पीठासीन अधिकारी द्वारा बलों के सम्मन दोनों के पत्रावली दि 01/11/18 को पेश हो।	
01/11/18	वादी वकील उप प्रतिवादी बलों के सम्मन तामील अदालत तामील कक्षा में प्रमाण पीठासीन अधिकारी द्वारा बलों के सम्मन दोनों के पत्रावली दि 17/11/18 को पेश हो।	



17/12/18

वादी वकील उषा श्रीमान पीठा नीत अखिल
महोदय अवकाश में पत्राचार हुए हैं पत्रावली
आई.डी. दि 6/2/2019 को पेश की।

21.7.2020

पत्रावली आर वादी आदि. उ. निवेदन
पर प्रस्तुत हुई। Not Press किया गया
लिहाजा पत्रावली Not Press होने से
बाद Not Press में खारिज किया
जा रहा है पत्रावली - उत्तर शुभारंभ
करावट से कम है।

सिवाजी ए
महोदय
21/7/2020

Not press
J. Sh
21/7/2020